न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–979/2026

CNRNo.UPGD010029072026

1–रामजी शर्मा आयु करीब 30 वर्ष पुत्र राम बाबू शर्मा,
निवासी–मढ़ावल थाना–छाता, जिला–गोण्डा। ..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

सरकार उ०प्र०। ..... **विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–224/2025
धारा–316(2), 352, 318(4), 111(2)(बी),
61(2)ए बी.एन.एस.,
थाना–नवाबगंज, जिला–गोण्डा।

दिनांक–30.05.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **रामजी शर्मा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–224/2025, धारा–316(2), 352, 318(4), 111(2)(बी), 61(2)ए बी०एन०एस०, थाना–नवाबगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा छोटू द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना–नवाबगंज, जनपद–गोण्डा में दी गयी कि प्रार्थी छोटू यादव पुत्र जैराज यादव निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे राम प्रताप, थाना–नवाबगंज, जिला–गोण्डा का मूल निवासी हूँ मेरी नई गाड़ी ट्रैक्टर 551/ आयसर माडल 2024 जिसका चेचिस नम्बर 933715474688 रजि नं०–UP42BS8657 जो बीमा कम्पनी से बीमित गाड़ी है उक्त ट्रैक्टर मेरे नाम से पंजीकृत है, जिसे दिनांक–06.10.2024 को मेरे ग्राम सभा दुर्गेश सिंह, अनूप सिंह, शक्ति सिंह पुत्रगण बेचन सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा पूरे गली पूर्वी थाना–नवाबगंज, जिला–गोण्डा व कुलदीप सिंह पुत्र अखिलेश सिंह निवासी ग्राम पूरे बसावल का पूर्वा थान सदर जिला प्रतापगढ़ सभी लोग मेरे घऱ पर आए और ट्रैक्टर से रेलवे में कार्य करने हेतु मेरा उक्त ट्रैक्टर को मु०–25,000/– रूपया प्रतिमाह किराए के पर दिनांक–22.11.2024 को लिए थे तथा गाड़ी के समय उक्त लोग सभी कागजात भी ले लिए तीन माह तक का किराया एक मुश्त दे दिया था उसके बाद किराया देना बन्द कर दिए इन्ही लोगों के द्वारा मेरे गांव के ज्ञान बहादुर पुत्र शिवदास की नई गाड़ी टैक्टर पावर ट्रैक 439 माडल 2024 चेचिस नं०–T053698221 B.N. इंजन नम्बर E3798788 रजि० UP43BJ7679 को भी किराए पर ले गए थे उनको भी तीन माह का किराया देकर उसके बाद किराया देना बंद कर दिया था हम लोग उनसे किराए की मांग करते हुए परन्तु टाल मटोल करते रहे। यह लोग दिनांक–06.06.2025 उनके मकान पर स्कूटर इंडिया चौराहा लखनऊ में जाकर उनसे किराए की मांग की गयी तब वह लोग गाली गलौज किए तथा यह कहा कि अब तुम लोगों का ट्रैक्टर नहीं मिलेगा और न ही किराया मिलेगा हम लोग अपने ट्रैक्टर की काफी खोज किए परन्तु

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.06.05 16:03:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई पता नहीं चल सका मुझे शक है कि उक्त लोगों से हमारे ट्रैक्टर को खड्यंत्र करके बेच दिया है। अतः प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–नवाबगंज, जिला–गोण्डा में दिनांक–30.06.2025 को 14.05 बजे, दुर्गेश सिंह, अनूप सिंह, शक्ति सिंह व कुलदीप सिंह के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–316(2), 352 बी०एन०एस० पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा–318(4), 111(2)(बी), 61(2)ए बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना बिलकुल फर्जी बनावटी तथा मनगढन्त आधारो पर दर्ज बिना किसी घटना तिथि व समय अंकित के फर्जी तरह से हैरान व परेशान करने की नियत से पंजीकृत कराया गया है तथा यह भी कहा जाता है कि न्यायालय द्वारा आदेश होने के उपरान्त मुकदमा लिखा गया है। प्रार्थी उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। प्रार्थी को केवल सहअभियुक्त के बयान के आधार पर फर्जी तरह से अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा न तो किसी से कोई भी ट्रैक्टर किराया पर लिया गया है और न ही प्रार्थी के निशादेही पर किसी प्रकार को कोई ट्रैक्टर बरामद ही हुआ है। वास्तविक्ता यह है कि प्रार्थी जनपद मथुरा का रहने वाला है जहा पर मथुरा पर आये हुए श्रद्धालुओं को मंदिरो का दर्शन कराकर अपना जीवन यापन करता है। सहअभियुक्त कुलदीप आदि लोगों ने मथुरा मंदिरों के दर्शन हेतु गये थे जहा पर प्रार्थी से मुलाकात हुई थी तथा प्रार्थी ने कलुदीप व उनके परिवार वालों को दर्शन आदि भी कराया था। जिसमें कुलदीप द्वारा बताया गया कि मैं अयोध्या के पास रहता हूँ अगर तुम्हे राम मंदिर दर्शन करने अयोध्या आना होगा तो आना हम लोग तुम्हे दर्शन करा देगे। इसी बात पर विश्वास करके प्रार्थी कुलदीप से बात करने लगा तथा प्रार्थी अयोध्या दर्शन करने भी आया था जहा पर इन लोगों द्वारा दर्शन भी कराया गया था। चूकि इसी से प्रार्थी ने कभी कभार प्रार्थी आदि से वार्ता किया था इसी आधार पर प्रार्थी का नाम पुलिस द्वारा मुकदमें का अपने खुलाशा करने तथा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए फर्जी तरह से अभियुक्त बना दिया। प्रार्थी का कोई शिनाख्त नही कराया गया है। यह कि कथित फर्द बरामदगी का कोई निस्पक्ष साक्षी नही है। प्रार्थी को फर्जी तरह से बिना किसी साक्ष्य के अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी के ऊपर किसी प्रकार को कोई अपराध का गठन नही होता है।प्रार्थी दिनांक 16.03.2026 से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। मौजूदा फर्द के आधार पर दर्शाये गये मुकदमों के अलावा प्रार्थी को कोई अपराधिक इतिहास नहीं है न ही पूर्व से सजायाफ्ता ही है।उपरोक्त मुकदमा मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थी बाद जमानत उसका दुरूपयोग नहीं करेगा न ही गवाहो पर बेजा दबाव डालेगा तथा मुकदमें के निस्तारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। मुख्य अभियुक्त/सहअभियुक्त की जमानत श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है प्रार्थी भी समता के आधार पर जमानत पाने योग्य है। प्रार्थी के पास प्रतिष्ठित जमानतदार मौजूद है। अतः प्रार्थी को उचित जमानत व जाती मुचलके पर ता फैसला रिहा करने की कृपा की जावे।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वादी का ट्रैक्टर रेलवे में कार्य करने हेतु मु०–25,000/–रूपया प्रतिमाह के किराए पर दिनांक–22.11.2024 को विपक्षीगण द्वारा लिये जाने तथा तीन माह का किराया एक मुश्त देने के बाद किराया देना बन्द किये जाने तथा किराया की मांग करने पर टाल मटोल करने, दिनांक–06.06.2025 को विपक्षीगण के मकान पर स्कूटर इंडिया चौराहा लखनऊ में जाकर किराए की मांग करने पर अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज किए जाने तथा ट्रैक्टर वापस न करने व किराया न देने का कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है तथा अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी होना दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक–16.03.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण एक ही फर्द पर अन्य तीन अभियोग संस्थित किया गया है, मुकदमा अपराध संख्या–314/2025, अन्तर्गत धारा–316(2), 352, 318(4), 111(2)(बी), 61(2)ए, 351(3) बी०एन०एस० व मुकदमा अपराध संख्या–223/2025, अन्तर्गत धारा–316(2), 352, 318(4), 111(2)(बी), 61(2)ए बी०एन०एस० तथा मुकदमा अपराध संख्या–226/2025, अन्तर्गत धारा–316(2), 352, 318(4), 111(2)(बी), 61(2)ए बी०एन०एस०, थाना–नवाबगंज, जिला–गोण्डा। उक्त तीनों मुकदमों में आवेदक/अभियुक्त की जमानत पूर्व में अन्य न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है तथा सहअभियुक्तगण संदीप यादव व सुभाष चन्द्र की जमानत दिनांक–05.05.2026 को इसी न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है, शेष बातें साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **रामजी शर्मा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–224/2025, धारा–316(2), 352, 318(4), 111(2)(बी), 61(2)ए बी०एन०एस०, थाना–नवाबगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–979/2026 **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रूपये (पाचस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–30.05.2026

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,

गोण्डा।

JO Code-UP1751